इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362] भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2019—भाद्र 2, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14051-233-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक २२ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा २० का संशोधन. २. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्र. २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २० के परन्तुक में, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का पचास प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

प्रथम अनुसूची, का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद चार में लोक सेवा यान,—

(क) उप-मद (१) में, खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रति तिमाही" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५० प्रतिसीट प्रतिमास" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-मद (२) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;

(ग) उप-मद (३) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, अंक "१८०" के स्थान पर, अंक "२००" स्थापित किया जाए;

(दो) मद पांच माल यान में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "१२०००" के स्थान पर, अंक तथा "२८०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिसका पंजीयन लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

(क)	२८००० किलोग्राम से अधिक किन्तु २९००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ९००० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण.—कर प्रति तिमाही/जीवन-काल मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भ होने के पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम दिन से संदेय होगा.'';

(ग) उप-मद (३) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''(३) अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयान जिसका लदान भार—

(क)	५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ५०० प्रति मास
(ख)	५००० किलोग्राम से अधिक किन्तु ६००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति मास
(ग)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए १०० प्रति मास''.;

(तीन) मद छह के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''छह. प्राइवेट सेवा यान :

(क)	बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो	रुपए २०० प्रति सीट प्रति मास.
(ख)	यदि निजी सेवा यान ने मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.	उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.'';

(चार) मद सात के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''सात. शैक्षणिक संस्था बस :

(क)	बैठक क्षमता १२+१ से अधिक हो	रुपए १२ प्रति सीट प्रति वर्ष.
(ख)	शैक्षणिक संस्था बस (बैठक क्षमता १२+१ से अधिक) ने मोटयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ८७ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो.	उप मद (क) में यथा उल्लिखित कर के अतिरिक्त रुपए ६० प्रति सीट प्रति दिन.'';

(पांच) मद आठ अन्य यान में,—

(क) उप-मद (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क)	मद एक, दो तथा तीन के अतिरिक्त अन्य यान जो व्यावसायिक प्रमाण-पत्र या अस्थायी पंजीयन के अन्तर्गत आते हैं और जिसका लदान रहित भार ५००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ६०० प्रति मास".;

(ख) उप-मद (२) में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क)	ऐसे यान जिसका लदान रहित भार ३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है	रुपए १००० प्रति मास
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए	रुपए २०० प्रति मास.

टिप्पण : माल यान के कर की गणना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. ३८८१ (ए), दिनांक ६-८-२०१८ में सकल यान भार के लिये यथा अवधारित की जाएगी.";

(छह) मद नौ अंतरण कर में,—

(क) उप-मद (एक) एवं (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	गैरपरिवहन यान	पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का २० प्रतिशत.
(दो)	परिवहन यान	
	(१) मोटरसाइकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले यान	पंजीयन के समय संदत्त कुल जीवन काल कर का १० प्रतिशत.
	(२) बैठक क्षमता १३+१ एवं ऊपर के सभी यात्री यान	यान की पंजीकृत क्षमता पर रुपए २०० प्रति सीट.
	(३) मालयान	यान के सकलयान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ५००.
	(४) ऐसे यान जो इस अनुसूची के किसी वर्ग में उल्लिखित न हों	यान के लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५००.

स्पष्टीकरण.—स्वामी की मृत्यु के कारण यान के अंतरण की दशा में या मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन लोक नीलामी के माध्यम से सरकार द्वारा अंतरण या ऐसे यान जो धारा ११ एवं १२ के उपबंधों के अधीन कर से छूट प्राप्त हैं, इस अनुसूची में यथा उल्लिखित अतिरिक्त कर ऐसे यानों के लिये देय नहीं होगा.";

(सात) मद दस हरित कर में,—

(क) शीर्षक "हरित कर" के स्थान पर, शीर्षक "बैटरी द्वारा चलित यान से भिन्न यान पर हरित कर" स्थापित किया जाए.

(ख) उप-मद (१) में, खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक "रुपए ५००" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपए २०००" स्थापित किए जाएं तथा खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द और अंक "रुपए १०००" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपए ५०००" स्थापित किए जाएं.

(ग) उप-मद (२) में, खण्ड (क) में कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक "रुपए ५००" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपए १०००" स्थापित किए जाएं और खण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द तथा अंक "रुपए १०००" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपए २०००" स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,— **द्वितीय अनुसूची, का संशोधन.**

(एक) मद ४ क में,—

(क) शब्द "रुपए १० लाख तक" के स्थान पर, शब्द "रुपए १० लाख से कम" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ख)	पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.
(ग)	बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.'';

(दो) मद ४ ख में,—

(क) शब्द तथा अंक "रुपए १० लाख से अधिक" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपए १० लाख से तथा रुपए २० लाख तक" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १२ प्रतिशत.
(ख)	पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का १० प्रतिशत.
(ग)	बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.'';

(तीन) मद ४ ख के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"४ख क. मोटरसाईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनकी मानक मूल्य २० लाख से अधिक है—

(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का १६ प्रतिशत.
(ख)	पेट्रोल/हाईब्रिड/सी एन जी/एल पी जी द्वारा चलित.	यान के कुल मानक मूल्य का १४ प्रतिशत.
(ग)	बैटरी द्वारा चलित	यान के कुल मानक मूल्य का ४ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.—लोक नीलामी में सरकार द्वारा बेचे गए यान पर कर की गणना, मद ४क, ४ख तथा ४खक के उपबंधों के अनुसार जीवन काल कर के लिये उस लागत पर जिस पर कि सरकार ने वाहन खरीदा था, की जाएगी.";

(चार) मद ४ग के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"४घ.	मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ४९ के उल्लंघन में चल रहे गैर परिवहन यान की दशा में	देय जीवन काल कर और देय कुल कर का २० प्रतिशत अतिरिक्त, जो दि. १-९-२०१९ से प्रभावशील होगा.";

(पांच) मद ७ में,—

(क) उप-मद (क) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द "यान के मानक मूल्य का ४%" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ३५००" स्थापित किए जाएं;

(ख) उप-मद (ख) में, कॉलम (२) में, अंक तथा शब्द "यान के मानक मूल्य का ३%" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "सकल यान भार का कुल भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २५००" स्थापित किए जाएं.";

(ग) उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**टिप्पणी:** ऐसे माल यान जिनका लदान भार २८००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची की मद पांच की उप-मद (२) में यथा विनिर्दिष्ट कर के भुगतान के लिये विकल्प होगा.";

(छह) मद ७क के स्थान पर; निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"७क. ऐसे माल यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन यान के लिए जीवन काल कर निम्नानुसार होगा :—

(क)	अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान	यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ६०००.
(ख)	अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान	यान के सकल यान भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपए ४०००.";

(सात) मद ८ के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"८. माल यान—

माल यान का जीवनकाल कर	मानक मूल्य का ८ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.—माल यान के मानक मूल्य से अभिप्रेत है—

(एक) निर्माता द्वारा निर्मित बॉडी युक्त मालयान का व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य या परिवहन विभाग द्वारा निश्चित किया गया मानक मूल्य, जो भी उच्चत्तर हो.

(दो) व्यापारी द्वारा चेसिस के रूप में यान बेचे जाने की दशा में, व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मानक मूल्य और परिवहन विभाग से मान्यताप्राप्त बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित बॉडी का मानक मूल्य, उक्त यान का कुल मानक मूल्य होगा.";

(आठ) मद ९ में, कॉलम (२) में, अंक "६%" के स्थान पर अंक "१०%" स्थापित किया जाए;

(नौ) मद १० के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"१०. ऐसे यानों के लिए जीवनकाल कर जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो मध्यप्रदेश राज्य में १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व पंजीकृत थे, निम्नानुसार होगा :—

(क)	१ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष तक पुराना यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १२०००.
(ख)	१ अक्टूबर, २०१४ को तीन वर्ष से अधिक पुराना यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए ९०००.

(दस) मद १० के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"१०क. ऐसे यानों के जीवनकाल कर, जो इस अनुसूची के किसी भी वर्ग में नहीं आते और जो अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् अन्य राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिये लाये गये हों, निम्नानुसार होगा :—

(क)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष तक के पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए २००००.
(ख)	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से दो वर्ष से अधिक पुराने यान	लदान रहित भार के प्रति १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिये रुपए १५०००.".

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 14051-233-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 19 OF 2019

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2019]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

Amendment of section 20.

2. In the proviso to section 20 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "the amount of tax and penalty levied", the words "fifty percent of the amount of tax and penalty levied" shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

3. In First Schedule to the principal Act,—

(i) in item IV PUBLIC SERVICE VEHICLE,—

(a) in sub-item (1), in clause (b), in column (2), for the figure and words "150 per seat per quarter", the figure and words "150 per seat per month" shall be substituted;

(b) in sub-item (2), in column (2), for the figure "180", the figure "200" shall be substituted;

(c) in sub-item (3), in clause (a), in column (2), for the figure "180" the figure "200" shall be substituted;

(ii) in item V GOODS CARRIAGE,—

(a) in sub-item (1) for the figure "12000" the figure "28000" shall be substituted;

(b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"(2) Tax on such goods carriage which are registered in the State of Madhya Pradesh before 1st October, 2014, and which are having a capacity of more than 28000 kilogram shall be as follows :—

(a)	more than 28000 kilogram, but not exceeding 29000 kilogram.	Rs. 9000 per quarter
(b)	thereafter on every 1000 kilogram or part thereof.	Rs. 350 per quarter

Explanation.—The tax per quarter/lifetime shall be payable from the first day of the forthcoming quarter after the commencement of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.";

(c) for sub-item (3) and entries relating thereto, the following sub-item and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

"(3) Goods carriage registered in other States whose laden weight is.—

(a)	not exceeding 5000 kilogram	Rs. 500 per month
(b)	exceeding 5000 kilogram, but not exceeding 6000 kilogram.	Rs. 600 per month
(c)	thereafter for every 1000 kilogram or part thereof.	Rs. 100 per month".;

(iii) for item VI, the following item shall be substitute, namely :—

"VI. PRIVATE SERVICE VEHICLE:

(a)	Having seating capacity exceeding 12+1	Rs. 200 per seat per month
(b)	If, Private Service Vehicle has obtained the permit as per the provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).	Rs. 60 per seat per day in addition to tax as mentioned in sub-item (a).";

(iv) for item VII, the following item shall be substitute namely :—

"VII. EDUCATIONAL INSTITUTE BUS :

(a)	seating capacity is more than 12+1	Rs. 12 per seat per annum.
(b)	Bus of educational institute (seating capacity more than 12+1) has obtained a permit as per clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).	Rs. 60 per seat per day in addition to tax as mentioned in sub-item (a).";

(v) in item VIII OTHER VEHICLES,—

(a) in sub-item (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a)	the vehciles excluding items I, II and III and covered under Trade certificate or temporary registration and having unladen weight which does not exceed 5000 kilogram.	Rs. 600 per month".;

(b) in sub-item (2), for clauses (a) and (b), the following clasues shall be substituted, namely :—

"(a)	vehicles which have unladen weight which does not exceed 3000 kilogram.	Rs. 1000 per month
(b)	thereafter for every 1000 kg and part thereof.	Rs. 200 per month

Note.—The calculation of tax of goods carriage shall be done as determined for Gross Vehicle Weight in the Notification No. S. O. 3881(A), dated 6-8-2018 of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.";

(vi) in item IX TRANSFER TAX,—

(a) for sub-items (i) and (ii), the following sub-items shall be substituted, namely :—

"(i)	Non-transport vehicle	20 percent of the total Lifetime Tax paid at the time of registration.
(ii)	Transport Vehicle—	
	(1) Motorcycle and vehicle having seating capacity upto 12+1	10 percent of the total Lifetime Tax paid at the time of registration.

(2)	All passenger vehicles having seating capacity of 13+1 and above.	Rs. 200 per seat on the registered capacity of the vehicle.
(3)	Goods carriage	Rs. 500 for gross vehicle weight of vehicle per 1000 kgs or part thereof.
(4)	Such vehicles which are not mentioned in any of the category of this Schedule	Rs. 1500 for unladen weight of vehicle per 1000 kilograms or part thereof.

Explanation.—In case of transfer of vehicle because of the death of owner or transfer by Government through public auction under the provisions of sub-section (2) of Section 50 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) or the vehicles which are exempted from tax under the provisions of Section 11 and 21, the additional tax as mentioned in this Schedule shall not be payable for such vehicles.";

(vii) in item X GREEN TAX,—

(a) for the heading "Green Tax", the heading "GREEN TAX on the vehicles apart from the vehicles run by battery" shall be substituted;

(b) in sub-item (1), in clause (a), in column (2), for the word and figure "Rs. 500", the word and figure, "Rs. 2000" shall be substituted and in clause (b), in column (2), for the word and figure "Rs. 1000", the word and figure "Rs. 500" shall be substituted;

(c) in sub-item (2), in clause (a), in column (2), for the word and figure "Rs. 500", the word and figure, "Rs. 1000" shall be substituted and in clause (b), in column (2), for the word and figure "Rs. 1000", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted.

Amendment of Second Schedule.

4. In the Second Schedule to the principal Act,—

(i) in item 4A,—

(a) for the words "up to Rs. 10 Lakh", the words "less than Rs. 10 Lakh" shall be substituted;

(b) for clauses (a), (b), (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a)	Driven by diesel	10 percent of the total standard price of the vehicle.
(b)	Dirven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	8 percent of the total standard price of the vehicle.
(c)	Driven by battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.";

(ii) in item 4B,—

(a) for the words and figure "exceeding Rs. 10 Lakh", the words and figure "from Rs. 10 Lakh and upto Rs. 20 Lakh" shall be substituted;

(b) for clauses (a), (b), (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a)	Driven by diesel	12 percent of the total standard price of the vehicle.
(b)	Dirven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	10 percent of the total standard price of the vehicle.
(c)	Driven by Battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.";

(iii) after item 4B, the following item shall be inserted, namely :—

"4BA. Motorcycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity upto 12+1 whose standard cost is exceeding 20 Lakh.—

(a)	Driven by diesel	16 percent of the total standard price of the vehicle.
(b)	Dirven by petrol/ Hybrid/CNG/LPG	14 percent of the total standard price of the vehicle.
(c)	Driven by Battery	4 percent of the total standard price of the vehicle.

Explanation.—The vehicles sold by the Government in public auction, the tax shall be calculated for lifetime tax as per the provisions of item 4A, 4B and 4BA on the cost on which the Government had bought the vehicle.";

(iv) after item 4C, the following item shall be inserted, namely :—

"4D.	In case of non-transport vehicles flying in contravention of section 49 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).	Lifetime tax payable plus 20 percent extra of the total tax payable, which shall be effective from 01-09-2019.";

(v) in item 7,—

(a) in sub-item (a), in column (2), for the figure and words "4% of the standard price of vehicle", the words and figure "Total load of Gross Vehicle Weight for every 1000 kgs or part thereof Rs. 3500" shall be substituted;

(b) in sub-item (b), in column (2), for the figure and words "3% of the standard price of vehicle", the words and figure "Total load of Gross Vehicle Weight for every 1000 kilograms or part thereof Rs. 2500";

(c) after sub-item (b), the following note shall be inserted, namely :—

"**Note.**—Such goods carriages whose laden weight is more than 28000 kilograms, the owner of the vehicle shall have an option for payment of tax as specified in sub-item (2) of item V of First Schedule.";

(vi) for item 7A, the following item shall be substituted, namely :—

"7A. Such goods carriages after receiving no objection certificate from other States has been brought for registration in the State of Madhya Pradesh, the lifetime tax for vehicles shall be as follows :—

(a)	Upto two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The Gross Vehicle Weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 6000.
(b)	more than two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The Gross Vehicle Weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 4000.";

(vii) for item 8, the following item shall be substituted, namely :—

"8. Goods Carriage—

Lifetime tax of goods carriage	8 percent of the standard price.

Explanation.—The standard price of the goods carriage means—

(i) Such goods carriages with a body made by the manufacturer, the standard price recovered by the dealer or the standard price determined by the Transport Department, whichever is higher.

(ii) In case the dealer has sold vehicle in the form of chassis, the standard price recovered by the dealer plus the standard price of the body made by the body builder authorised by the Transport Department, shall be the total standard price of said vehicle.";

(viii) in item 9, in column (2), for the figure "6%" the figure "10%" shall be substituted;

(ix) for item 10, the following item shall be substituted, namely :—

"10. The lifetime tax for the vehicles which do not fall in any of the category of this Schedule and which were registered before 1st October, 2014 in the State of Madhya Pradesh shall be as follows :—

(a)	Upto three years old vehicles on 1st October, 2014.	The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 12000.

(b)	More than three years old vehicles on 1st October, 2014.	The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 9000.";

(x) after item 10, the following item shall be inserted, namely :—

"10A. The lifetime tax for such vehicles which do not fall in any of the category of this Schedule and are brought from other States in the State of Madhya Pradesh for registration after obtaining no objection certificate shall be as follows :—

(a)	Upto two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 20000.
(b)	More than two years old vehicles from the date of registration to the date of issue of no objection certificate.	The unladen weight for every 1000 kilogram or part thereof Rs. 15000.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.